N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0074 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/03/2025 21:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 25/03/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:27 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/03/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/03/2025 21:35:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 117 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** KARYALYA MUKHYA BLOCK SHIKSHA ADHIKARI, KHAJUWALA,JILA BIKANAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** JAYPRAKESH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RICHHPAL
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN DOOMARA, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN DOOMARA, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHORURAM		पिता:PURKHARAM	1. GOAN KHARI CHARANAN,KOLAYAT,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 24.03.2025 को श्री जयप्रकाश पुत्र श्री रिछपाल, जाति जाट, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव डूमरा, तहसील नवलगढ़, जिला झून्झूनू ने ब्यूरो कार्यालय बीकानेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सेवामे श्रिमान अतिरिक्त पूलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बिकानेर विषय C.B.E.O offic.l khajuwala बिकानेर के क्रमचारी चोरूराम व अन्य को रगे हाथो पकड़वाने बाबत् महोदयजी मैं जयप्रकाश SO रिछपाल मूल निवासी V.P. डूमरा त. नवलगढ जिला झुझुनू का रहने वाला हू मै 2016 में व. शा. शिक्षक के पद पर गजसिह पुर जिला गगांगनर मे लगा था फिर मेरा स्थानान्तरण गारबदेशर बिकानेर हो गया व 2019 में मेरे उपर मूकन्दगढ़ थाना में मूकदमा दर्ज हो गया था जिस मे 24 घन्टे से ज्यादा हिरासत मे रहने के कारण मूझे निलम्बित कर दिया गया व मेरा मूख्यालय खाजूवाला C.B.E.O office कर दिया गया मेरा फिछले लगभग 54 महिने का वेतन बकाया है जिसको बनाने के लिए C.B.E.O office का बावू चोरूराम मेरे से 50 हजार रू. माग रहा है। इसके साथ अन्य कूछ और बाबू व अधिकारि भी सामित है। दिनाक 19.3.25 को चोरूराम बावू ने 30 हजार रू. रिशवत के खाजूवाला मे मेरे से लिए थे। मै अपने वाजीब काम के लिए रिशवत राशि नहि देना चाहता मेरा बावू चोरूराम व अन्य से कोई उधारी का मामला नही हे। मेरि इनसे कोई रन्जीश भी नही हे। कृपया अग्रीम कानूनी कार्यवाही करे भवदिय एसडी जयप्रकाश जयप्रकाश व.शा.शि. 24.3.25 mob. [redacted] श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् उप अधीक्षक पुलिस महेश श्रीमाली को अपने कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति का नाम श्री जयप्रकाश पुत्र श्री रिछपाल, जाति जाट, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव डूमरा, तहसील नवलगढ़, जिला झून्झूनू होना बताते हुए श्री जयप्रकाश के द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र मन् उपअधीक्षक पुलिस को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री जयप्रकाश के अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। पूछताछ पर परिवादी श्री जयप्रकाश ने बताया कि मैं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हूं। मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज होने से विभाग द्वारा मुझे निलम्बित किया गया व मेरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर से निलम्बन पर मुख्यालय दिनांक 21.07.2020 को कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खाजूवाला बीकानेर में किया गया था। मैंने उस समय अपनी उपस्थिति उक्त कार्यालय में दे दी थी। वर्ष 2021 में एक बार मेरा सात माह का निर्वाह भत्ता की राशि मेरे खाते में जमा करवा दी थी। उसके बाद मेरा निर्वाह भत्ता का बिल आज दिनांक तक नहीं बना है। मेरे द्वारा समय-समय पर वेतन के लिए निवेदन करने पर मेरे से श्री चोरूराम बाबू द्वारा अन्य स्थान पर नियोजन नहीं होने के संबंध में सफेद कागज पर शपथ पत्र लिये थे। श्री चोरूराम मेरे से निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत व कुछ समय का 75 प्रतिशत के हिसाब से जमा करवाने की एवज में 50 हजार रूपये रिश्वत के मांग रहा है। श्री चोरूराम ने मुझे दिनांक 12.03.2025 को अपने मोबाईल नंबर [redacted] से मेरे मोबाईल नंबर [redacted] पर वाट्सएप वॉयस कॉल करके कहा कि मेरी सीबीईओ साहब से बात हो चुकी है, आपका निर्वाह भत्ता का बिल बनाने के बदले सीबीईओ साहब 50000 रूपये खर्चा पानी देने के लिए कह रहे हैं। मैंने चोरूरामजी को कहा कि मैं पैसों की व्यवस्था करके आ रहा हूं। उसके बाद चोरूराम जी बाबू ने दिनांक 15.03.2025 को मेरे को फोन किया था और कहा कि आप हमें भूल गये, तो मैंने कहा कि साहब अभी तो मैं कहीं काम लगा हूं, घंटा भर बाद में बात करता हूं। फिर मैंने मेरे मोबाईल नंबर [redacted] से चोरूराम जी के मोबाईल पर बात की तो उन्होंने फोन काटकर मेरे को वाट्सएप से वॉयस कॉल किया और कहा कि मेरी सीबीओ साहब से बात हो गयी, साहब आपका वेतन बनाने के लिए पचास हजार मांग रहे हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं विचार करता हूं इतनी राशि मेरे पास नहीं है। उसके बाद मैंने श्री चोरूराम जी को अगले दिन दिनांक 16.03.2025 को कॉल किया और कहा कि सर मेरे पास पूरी व्यवस्था तो नहीं हो पा रही है आधे हो गये हैं, पच्चीस हजार तो मैं कल आपको 17 तारीख को आ रहा हूं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने कहा कि साहब मानेगें नहीं पूरे ही लेकर के आना, उसके बाद में दिनांक 16.03.2025 को ही इन्होंने मेरे को वापिस कॉल किया कि आप 17 तारीख को मत आओ साहब की मिटिंग है। आप 19 तारीख को आ जाओ और एक स्टाम्प ले आना। दिनांक 16.03.2025 को श्री चोरूराम जी ने मुझे वाटसएप टैक्सट मैसेज भी किया कि कल मत आना साहब नहीं मिलेंगे 19 तारीख को मिलेंगें साहब ने बोला है। मैं दिनांक 19.03.2025 को खाजूवाला आकर श्री चोरूराम जी से मिला, चोरूराम व मेरी खाजूवाला बस स्टैण्ड के पास चौराहे पर वार्ता हुई, चोरूराम जी ने उस दिन मेरे से 30 हजार रूपये रिश्वत के निर्वाह

भत्ता का बिल बनाने के एवज में लिये थे और कहा कि आप ऑफिस में आ जाओं। ऑफिस में इन्होंने सीबीईओ साहब से वार्ता कर मुझे किचन में ले जाकर कहा कि साहब ने कहा कि पूरे पचास ही लगेंगें, आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं 20 हजार रूपये और लेकर आ जाना, आपका पूरा वेतन बना देंगें। चोरूराम बाबू से हुई मेरी वाटसएप चैट के स्क्रीन शॉट की स्वप्रमाणित प्रति मैं पेश कर रहा हूं। रिपोर्ट परिवादी एवं पूछताछ तथ्यों से मामला पीसी एक्ट की परीधी में आना पाया जाने से श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक नंबर 127 से मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक व परिवादी श्री जयप्रकाश का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री जयप्रकाश को सत्यापन कार्यवाही की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी श्री जयप्रकाश ने बताया कि श्री चोरूराम बाबू से खाजूवाला में रूबरू मिलकर आज रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। वक्त 11.00 एएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया जाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक को आवश्यक हिदायत कर वक्त 11.15 एएम पर परिवादी श्री जयप्रकाश के साथ खाजूवाला के लिए रवाना किया गया। वक्त 06.05 पीएम पर श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक मय परिवादी श्री जयप्रकाश के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी कार्यालय से परिवादी के किराये के टैम्पो मय चालक के रवाना होकर वक्त 02.00 पीएम के लगभग खाजूवाला में बस स्टैण्ड के पास चौराहे पर पहुंच गया था। परिवादी श्री जयप्रकाश ने अपने मोबाईल से संदिग्ध अधिकारी की उपस्थित के बारे में उसके मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की थी, तो संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी को खाजूवाला बस स्टैण्ड के पास चौराहे पर मिलने के लिए कहा था। मैंने परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से होने वाली वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छिपाते हुए आस-पास मुकीम रहा। कुछ देर बाद परिवादी के पास एक व्यक्ति स्कूटी सहित उपस्थित आया और परिवादी से कुछ देर वार्ता करके अपनी स्कूटी लेकर वापिस चला गया। फिर परिवादी ने मेरे पास पूर्व तय स्थान पर आकर मुझे बताया कि चोरूराम बाबू अचानक आ गया था, इसलिए जल्दी बाजी में डिवाईस चालू नहीं हो सकी। चोरूराम ने मुझे अभी ऑफिस में बुलाया है, मैं कार्यालय में उससे वार्ता करके सत्यापन करवा दूंगा। इस पर वक्त 02.53 पीएम पर मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी अपने किराये के टैम्पो मय चालक के कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला के लिए रवाना हो गया। मैं गोपनीय रूप से मुकीम रहा। कुछ देर बाद परिवादी अपने टैम्पो मय चालक के मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। मैंने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री चोरूराम बाबू से मेरी वार्ता हो गई है। चोरूराम बाबू ने 20 हजार रूपये रिश्वत के मांगे हैं और आज ही देने के लिए कहा है। मैंने एक-दो घंटे में पैसे देने का कहा है। मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके सुना तो परिवादी के बताये तथ्यों के अनुसार वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। फिर मैं व परिवादी उसी किराये के टैम्पों मय चालक के खाजूवाला से रवाना होकर हाजिर आये हैं। परिवादी श्री जयप्रकाश ने भी उपरोक्तानुसार तथ्यों की ताईद की। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर का चालू करके परिवादी श्री जयप्रकाश व श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक की उपस्थिति में सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। वार्ता में श्री चोरूराम बाबू द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग करने तथा बाद में पैमेंट होने पर उसमें से और लेने के तथ्यों की पुष्टि हुई। वक्त 06.40 पीएम पर परिवादी श्री जयप्रकाश ने बताया कि चोरूराम जी के मोबाईल नंबर [redacted] से मेरे मोबाईल नंबर [redacted] पर कॉल आई है, जो मैंने अटैण्ड नहीं की। इस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर संदिग्ध अधिकारी के उक्त मोबाईल नंबर पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक के जरिए रिकॉर्ड करवाई गई। उक्त वार्ता में परिवादी द्वारा कल काम करने का कहा गया है। परिवादी श्री जयप्रकाश व संदिग्ध अधिकारी के मध्य सत्यापन वार्ता एवं जरिए दूरभाष हुई वार्ता के अनुसार दिनांक 25.03.2025 को रिश्वती राशि का लेन-देन तय होने से ट्रेप कार्यावाही के लिए दो स्वतंत्र गवाह की तलबी की गई। दिनांक 25.03.2025 को वक्त 08.20 एएम पर कार्यालय अधीक्षक, पीबीएम अस्पताल बीकानेर से श्री रामरतन मेघवाल नर्सिंग ऑफिसर व श्री तेजरतन भाटी नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित आये। दोनों कार्मिकों को ब्यूरो कार्यालय में बुलाये जाने का प्रयोजन बताकर ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर दोनों ने अपनी-अपनी स्वैच्छिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री जयप्रकाश से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के द्वारा ब्यूरो में दिये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों व सत्यापन कार्यवाही से अवगत करवाया गया। वक्त 08.30 एएम पर परिवादी श्री जयप्रकाश व स्वतंत्र गवाह श्री रामरतन मेघवाल, श्री तेजरतन भाटी, श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक की उपस्थिति में सत्यापन वार्ता के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट करके रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना प्रारंभ की जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट किया गया तथा एक पैन ड्राईव को खुला रखा गया। वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट किया गया। तत्पश्चात वक्त 09.40 एएम पर परिवादी श्री जयप्रकाश द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान के कार्यवाही हेतु 500-500 रूपये के 40 नोट

कुल 20 हजार रूपये पेश किये। पेश किये गये नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट नम्बर 1. एक 500 रूपये का नोट 7BP 305467 2. एक 500 रूपये का नोट 9KS 119539 3. एक 500 रूपये का नोट 7CD 511458 4. एक 500 रूपये का नोट 0AB 837956 5. एक 500 रूपये का नोट 3CH 917395 6. एक 500 रूपये का नोट 8BH 294683 7. एक 500 रूपये का नोट 1SR 186536 8. एक 500 रूपये का नोट 5AE 011111 9. एक 500 रूपये का नोट 4KV 896684 10. एक 500 रूपये का नोट 6RA 800099 11. एक 500 रूपये का नोट 8LL 318396 12. एक 500 रूपये का नोट 1BP 292448 13. एक 500 रूपये का नोट 7TC 026778 14. एक 500 रूपये का नोट 8GL 114932 15. एक 500 रूपये का नोट 7UH 633548 16. एक 500 रूपये का नोट 5WW 653384 17. एक 500 रूपये का नोट 0GU 001486 18. एक 500 रूपये का नोट 6BV 528214 19. एक 500 रूपये का नोट 8EG 132868 20. एक 500 रूपये का नोट 8AU 811873 21. एक 500 रूपये का नोट 5HR 263705 22. एक 500 रूपये का नोट 7BU 394379 23. एक 500 रूपये का नोट 5DQ 627034 24. एक 500 रूपये का नोट 5UT 940207 25. एक 500 रूपये का नोट 2TL 821016 26. एक 500 रूपये का नोट 3MB 017076 27. एक 500 रूपये का नोट 9HP 223957 28. एक 500 रूपये का नोट 1VM 428266 29. एक 500 रूपये का नोट 5KU 701592 30. एक 500 रूपये का नोट 9GU 631729 31. एक 500 रूपये का नोट 6TN 112903 32. एक 500 रूपये का नोट 5NK 677963 33. एक 500 रूपये का नोट 7PC 015544 34. एक 500 रूपये का नोट 4NH 582054 35. एक 500 रूपये का नोट 3NU 973366 36. एक 500 रूपये का नोट 6GA 336235 37. एक 500 रूपये का नोट 6EG 933331 38. एक 500 रूपये का नोट 7DH 294541 39. एक 500 रूपये का नोट 9TF 687455 40. एक 500 रूपये का नोट 4HS 278698 श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त सहायक उप निरीक्षक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री जयप्रकाश की जामा तलाशी गवाह श्री रामरतन मेघवाल से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 20,000 रूपये परिवादी के पहनी शर्ट की सामने की बांयी जेब में श्री जगदीश चौधरी सउनि से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनो हाथों को फेरकर ईशारा करें तथा यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल या कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री जगदीश चौधरी सउनि के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को जलवाकर नष्ट किया गया। श्री जगदीश चौधरी सउनि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री जगदीश चौधरी सउनि को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर परिवादी को मोबाईल में दर्ज करवाये गये। वक्त 10.05 एएम पर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित लिया। वक्त 10.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री रामरतन मेघवाल, श्री तेजरतन भाटी, परिवादी श्री जयप्रकाश व ब्यूरो के श्री जयकुमार पुलिस निरीक्षक, श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम, श्री मनोहरलाल, श्री भगवानदास कानिस्टेबलगण मय ट्रेप सामग्री के जरिए दो प्राईवेट किराये के वाहनों से खाजूवाला के लिए रवाना होकर वक्त 12.05 पीएम पर खाजूवाला बस स्टैण्ड से कुछ पहले मुकीम हुआ। आरोपी की उपस्थिति का मालूमात करने के लिए परिवादी श्री जयप्रकाश से उसके मोबाईल नंबर [redacted] से आरोपी श्री चोरूराम के मोबाईल नंबर [redacted] पर कॉल करवाकर स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई। वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक से रिकॉर्ड करवाई गई। वार्ता के अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी को अपने कार्यालय में मिलने का कहा गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराही सभी के रवाना होकर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला के नजदीक पहुंचा। परिवादी को हिदायत की गई कि रिश्वत लेन-देन के बाद यदि किसी कारण से मेरे मोबाईल पर कॉल नहीं लगे तो श्री बजरंग सिंह सउनि के मोबाईल नंबर पर कॉल या मिसकॉल कर ईशारा कर देना। दोनों के नंबरों का आदान प्रदान करवाया गया। वक्त 12.20 पीएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री जयप्रकाश

को सुपुर्द कर आरोपी श्री चोरूराम बाबू से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय शेष हमराही सभी के दोनों वाहनों से आरोपी के कार्यालय के पास उचित स्थान पर गोपनीय रूप से मुकीम होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगे। वक्त 12.27 पीएम पर परिवादी श्री जयप्रकाश ने अपने मोबाईल नंबर [redacted] से श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नंबर [redacted] पर मिस कॉल कर ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो स्टाफ जरिए वाहनों के अविलम्ब पंचायत समिति परिसर में बने कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खाजूवाला में प्रवेश हुआ तो कार्यालय में ठीक सामने संस्थापन कक्ष के सामने परिवादी श्री जयप्रकाश खड़ा दिखाई दिया, जिसके पास पहुंचकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री जयप्रकाश के साथ मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के संस्थापन कक्ष के अंदर प्रवेश हुआ। इसी दौरान श्री भगवानदास कानिस्टेबल से विडियो कैमरा में स्थापित नये मैमोरी कार्ड में विडियोग्राफी प्रारंभ करवाई गई। मन् उप अधीक्षक मय उपरोक्त सभी हमराहियान के परिवादी के पास संस्थापन कक्ष में प्रवेश हुआ, तो कक्ष में दाहिनी साईड लगी कुर्सी टेबल पर बैठे हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को परिवादी ने श्री चोरूराम बाबूजी होना बताया तथा बताया कि इन्होंने अभी मेरे से 20,000 रूपये लेकर गिनकर अपने पहनी पेंट की सामने की अंदर की दांयी जेब में रखे हैं। श्री हरिराम कानिस्टेबल व श्री रतन सिंह कानिस्टेबल से श्री चोरूराम का क्रमशः बांया व दाहिना हाथ कलाईयों से ऊपर से पकड़वाये गये। श्री चोरूराम बाबू को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए परिवादी श्री जयप्रकाश को जानने के बारे में पूछा तो बताया कि इसका नाम जयप्रकाश है। श्री चोरूराम से परिवादी श्री जयप्रकाश से पैसे किस बाबत लिये का पूछने पर श्री चोरूराम कनिष्ठ सहायक ने बताया कि मैंने इनकी ज्वाईनिंग के लिए पैसे लिये हैं। फिर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री चोरूराम से पूर्ण नाम पता पूछने पर अपना नाम चोरूराम पुत्र श्री पुरखाराम, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव खारी चारणान, पुलिस थाना गजनेर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला होना बताया। पास में बैठे व्यक्ति से परिचय पूछने पर अपना नाम बद्रीराम, हाल अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम अतिरिक्त चार्ज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला होना बताया। कक्ष में एक अन्य अध्यापक बैठा मौजूद मिला। परिवादी से पूछने पर बताया कि श्री चोरूराम ने रिश्वत राशि 20000 रूपये कार्यालय के बाहर लगे सीसे के गेट लगे एक कक्ष में ली थी, जिसमें पुस्तकें रखी हैं। फिर चोरूरामजी इस कक्ष में आये थे। रिश्वत राशि का लेन-देन मेरे व चोरूराम जी के मध्य हुआ था, तब वहां अन्य कोई मौजूद नहीं था। श्री चोरूरामजी ने कहा कि आप अंदर आ जाओ मैं आपका काम अभी करवा देता हूं। इसी दौरान मैंने ट्रेप का निर्धारित ईशारा श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नंबर पर मिस कॉल कर दिया था। रिश्वती राशि श्री चोरूराम जी के पहनी पेंट की जेब में है। आरोपी श्री चोरूराम से भी परिवादी से ली गई रिश्वत राशि का पूछने पर अपने पहनी पेंट की अंदर की जेब में होना स्वीकार किया। मौके पर रिश्वत लेन-देन की ताईद होने से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ नये प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक से साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया, जिसे हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री चोरूराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर मार्क R-1, R-2 अंकित किये गये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में श्री चोरूराम के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर मार्क L-1, L-2 अंकित किये गये। उक्त धोवन की शीशियों को सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था जिससे परिचय पूछने पर अपना नाम श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, उम्र 33 वर्ष, निवासी जोगियासन, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ वर्तमान निवासी वार्ड नंबर 02 खाजूवाला हाल प्राध्यापक, पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 22 केवाईडी, खाजूवाला, जिला बीकानेर मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया। श्री गुरूचरण सिंह ने पूछने पर बताया कि मेरे समक्ष कोई राशि का लेन-देन नहीं हुआ है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नही है। तत्पश्चात श्री चोरूराम कनिष्ठ सहायक को रिश्वती राशि पेश करने के निर्देश पर श्री चोरूराम कनिष्ठ सहायक ने अपने पहनी पेंट बरंग स्लेटी लाईनदार की अंदर की दाहिनी साईड की जेब से 500-500 रूपये के नोटों की एक थेई निकालकर पेश की जो गवाह श्री तेजरतन को दिलवाई जाकर गिनवाने पर गवाह ने नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना बताये। दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से नोटों के नंबरों को मिलान करवाने पर गवाहान ने नोटो के नम्बर हुबहू फर्द पेशकसी के अनुसार होना पाये गये, जिनके नंबर फर्द में अंकित किये जाकर नोटों को एक सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। रिश्वती राशि के संबंध में श्री बद्रीराम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जानकारी थी या नहीं के संबंध में पूछने पर श्री चोरूराम ने बताया कि श्री जयप्रकाश को ज्वाईन करवाने के बारे में मेरी श्री बद्रीराम जी से बात हुई थी, ज्वाईन करवाने की एवज में श्री बद्रीराम जी ने मुझे परिवादी जयप्रकाश से रिश्वत राशि लेने के लिए नहीं कहा था, मैंने अपने स्तर पर ही जयप्रकाश से इसकी ज्वाईनिंग के लिए पैसे लिये है। श्री जयप्रकाश तीन-चार साल से कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। इस पर श्री जयप्रकाश ने पूछने पर बताया कि मैं वर्ष 2020 में निलम्बित हो गया था, और मेरा मुख्यालय सीबीईओ ऑफिस खाजूवाला किया गया

था। मैंने यहां आकर कार्यग्रहण कर लिया था, क्योंकि निलम्बन काल में कार्मिक से किसी तरह का कार्य नहीं लिया जाता है। मैं बीच-बीच में आता रहता हूं व अन्य कोई सेवाएं नहीं देने का प्रमाण पत्र देता रहता हूं। मेरा प्रारंभ में एक बार सात माह का निर्वाह भत्ता बनाया था, उसके लिए भी मैंने श्री चोरूराम जी को वेतन बनाने के लिए रिश्वत के पैसे दिये थे। उस समय एक बबलू नाम का व्यक्ति और था, जिसको मैं शक्ल से जानता हूं, जो इसी विभाग का है। श्री चोरूराम से बबलू के संबंध में पूछने पर बताया कि श्री बबलू इस कार्यालय में ही सहायक कर्मचारी है। श्री चोरूराम ने दिनांक 15.03.2025 को मेरे को फोन किया था और कहा कि आप हमें भूल ही गये, तो मैंने कहा कि साहब अभी तो मैं कहीं काम लगा हूं, घंटा भर बाद में बात करता हूं। फिर मैंने मेरे मोबाईल नंबर [redacted]से इनके मोबाईल पर बात की तो इन्होंने फोन काटकर मेरे को वाटसएप से वॉयस कॉल किया और कहा कि मेरी सीबीओ साहब से बात हो गयी, साहब आपका वेतन बनाने के लिए पचास हजार मांग रहे हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं विचार करता हूं इतनी राशि मेरे पास नहीं है। उसके बाद मैंने श्री चोरूराम जी को अगले दिन दिनांक 16.03.2025 को कॉल किया और कहा कि सर मेरे पास पूरी व्यवस्था तो नहीं हो पा रही है आधे हो गये हैं, पच्चीस हजार तो मैं कल आपको 17 तारीख को आ रहा हूं आपको दे दूंगा बाकी अपना व्यवहार सही है। तो इन्होंने कहा कि साहब मानेगें नहीं पूरे ही लेकर के आना, उसके बाद में दिनांक 16.03.2025 को ही इन्होंने मेरे को वापिस कॉल किया कि आप 17 तारीख को मत आओ साहब की मिटिंग है। आप 19 तारीख को आ जाओ और एक सौ रूपये का स्टाम्प पेपर साथ में लाना। मैंने कहा कि स्टाम्प पेपर पर क्या लिखवाना है, आप मेरे को मेटर सेंड कर दो, तो चोरूराम जी ने कहा कि आप स्टाम्प पेपर खाली लेकर आ जाओ। आप 19 तारीख को पहुंच जाओ मैं आपको मिल जाऊंगा, पहुंचने से थोड़ी देर पहले मेरे को घंटी कर देना। मैं 19 तारीख को सुबह खाजूवाला आया था तथा चोरूराम जी को फोन किया तो इन्होंने कहा कि आप खाजूवाला में चौराहे पर ही रूको मैं वहीं आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद श्री चोरूरामजी स्कूटी से चौराहे पर आ गये। इन्होंने मेरे को चाय पिलाकर 30 हजार रूपये ले लिये और कहा कि आप ऑफिस में चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। ऑफिस में इन्होंने सीबीओ साहब से वार्ता कर मुझे किचन में ले जाकर कहा कि साहब ने कहा कि पूरे पचास ही लगेंगें, आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं 20 हजार रूपये और लेकर आ जाना, आपका पूरा वेतन बना देंगें। कल मैं इनसे मिला तो इन्होंने 20 हजार रूपये मांगे थे, मेरा 54 महिने का वेतन बकाया है। श्री चोरूराम कनिष्ठ लिपिक ने भी उपरोक्तानुसार परिवादी के बताये अनुसार वार्ताएं होना स्वीकार किया। श्री बद्रीराम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पूछने पर अपना पूर्ण नाम पता श्री बद्रीराम पुत्र श्री बीरबलराम, उम्र 48 वर्ष, निवासी 1 केजेडी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर हाल अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त चार्ज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला होना बताया। श्री बद्रीराम ने अपने पास मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का चार्ज दिनांक 02.01.2025 से होना बताया। श्री बद्रीराम से परिवादी श्री जयप्रकाश का वेतन नहीं बनने के संबंध में पूछने पर बताया कि हमारे पास इनकी न तो कोई उपस्थिति थी और न ही यहां कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र या अन्य संस्था में कार्य नियोजन नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। हम जयप्रकाश से लगातार कार्यग्रहण करने के संबंध में पत्र व्यवहार कर रहे थे। श्री चोरूराम ने मुझे इनके कार्यग्रहण के लिए बताया था और कहा था कि एक व्यक्ति यहां कार्यरत है। प्रमाण पत्र व उपस्थित आने के बाद वेतन बनाने का काम लेखाकार का है। इस कार्यालय में लेखाकार के पद पर श्री राकेश कुमार है। मेरे कार्यग्रहण के बाद श्री जयप्रकाश जी से मेरी पहली बार मुलाकात अभी हुई है, जब आपने बताया है, इससे पहले इनसे मेरा कोई सम्पर्क नहीं हुआ। परिवादी ने भी बताया कि मेरा रूबरू इनसे कोई सम्पर्क नहीं हुआ। तत्पश्चात एक साफ नये पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनैट का घोल तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। आरोपी श्री चोरूराम के पहनने हेतु एक लॉवर की व्यवस्था करवाकर आरोपी श्री चोरूराम के पहनी पेंट उतरवाई जाकर लॉवर पहनाया गया। आरोपी श्री चोरूराम की पेंट में पर्स, चाबियां व रूमाल मिली। पर्स गवाह श्री तेजरतन को दिलवाकर राशि चैक करवाई गई तो पर्स में 600 रूपये पाये गये। श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक से आरोपी श्री चोरूराम के पेंट की सामने की अंदर की दाहिनी जेब को उल्टवाकर डूबोकर धोवन लिया गया, जो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। पेंट बरंग स्लेटी लाईनदार की जेब को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में वक्त हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि के दौरान की गई विडियोग्राफी के मूल मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पैन ड्राईव व मूल मैमोरी कार्ड को पृथक पृथक सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट किया गया। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूतों को सीलचिट करने में प्रयुक्त पीतल की सील नंबर 82 की फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये । कार्यवाही में नक्शा मौका घटनास्थल तैयार कर हालात मौका दर्ज किया गया। वक्त 05.10 पीएम पर आरोपी श्री चोरूराम कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला, जिला बीकानेर को जुर्म से आगाह कर जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री चोरूराम का मोबाईल फोन Redmi कम्पनी का प्रकरण में वजह सबूत होने से जरिए फर्द जब्त किया गया। तत्पश्चात 06.20 पीएम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, परिवादी श्री जयप्रकाश, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त श्री चोरूराम मय जब्तशुदा माल वजह सबूत व ट्रेप सामग्री सहित मौका से जरिए दो प्राईवेट वाहनों से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सदर बाजार, खाजूवाला के लिए खाना तलाशी हेतु रवाना होकर आरोपी के

राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाजूवाला स्थित आवास की खाना तलाशी की गई। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, परिवादी श्री जयप्रकाश, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त श्री चोरूराम मय जब्तशुदा माल वजह सबूत व ट्रेप सामग्री सहित जरिये दोनो वाहनों से राजकीय चिकित्सालय खाजूवाला से ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए रवाना होकर वक्त 09.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय बीकानेर पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा माल वजह सबूत, मांग सत्यापन से संबंधित माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। रात्री का समय होने से रात्री विश्राम हेतु परिवादी श्री जयप्रकाश को कार्यालय में ही मुकीम रखा तथा गवाहान को दिनांक 26.03.2025 को प्रातः 08.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। आरोपी को रात्री सुरक्षार्थ पुलिस थाना सदर बीकानेर की हवालात में जमा करवाया गया। दिनांक 26.03.2025 को वक्त 08.45 एएम पर स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री तेजरतन भाटी व श्री रामरतन मेघवाल उपस्थित आये। वक्त 08.50 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री तेजरतन भाटी व श्री रामरतन मेघवाल, परिवादी श्री जयप्रकाश व श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक की उपस्थिति में वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर पर कनैक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना प्रारंभ की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट पूर्ण होने पर रिकॉर्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड व एक पैन ड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट किये गये। वजह सबूत को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नंबर 82 को तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। आरोपी श्री चोरूराम को थाना सदर की हवालात से प्राप्त कर माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में जरिए रिमाण्ड फार्म पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा के आदेश फरमाये गये। आरोपी श्री चोरूराम को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में दाखिल करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया है कि परिवादी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री रिछपाल, जाति जाट, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव डूमरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झूनू हाल वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (निलम्बित) मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खाजूवाला, जिला बीकानेर का 54 माह का निर्वाह भत्ते का वेतन दिलवाने की एवज में श्री चोरूराम, कनिष्ठ सहायक (संविदाकर्मी), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खाजूवाला, जिला बीकानेर द्वारा 50000 रूपये रिरश्वत की मांग कर दिनांक 19.03.2025 को 30000 रूपये प्राप्त करना व दिनांक 24.03.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 20000 रूपये की रिश्वत राशि तथा निर्वाह भत्ता का भुगतान की जाने वाली राशि में से और राशि की मांग की गई। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी को कहा गया - टेंशन नहीं लेने की, परिवादी- पांच हजार वो लग गये अब पचास में से गरीब किसी से पैसे उधार लेकर के आया हूं। आरोपी- हूं, ठीक है बीस अभी कर देना। परिवादी -बीस। आरोपी- हो जायेगा पूरा कम्प्लीट काम। परिवादी- बीस, आपको पूरा पचास कर दूंगा पूरे ही। आरोपी - ठीक है बॉस। परिवादी- और उसके बाद में और भी आपको खुश कर दूंगा। आरोपी- नहीं बाद में तो पैमेंट होएगी तो उस समय पैमेंट के और हो जायेगें उसके। आदि वार्ताएं करते हुए रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी श्री चोरूराम कनिष्ठ सहायक (संविदाकर्मी) द्वारा परिवादी श्री जयप्रकाश से उसका निर्वाह भत्ता का भुगतान करने की एवज में वक्त रिश्वत लेन-देन 20000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी के दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ तथा रिश्वती राशि आरोपी के पहनी पेंट की दाहिनी साईड की अंदर की जेब से बरामद हुई आदि तथ्यों से आरोपी द्वारा परिवादी से उसके निर्वाह भत्ता भुगतान की एवज में स्वयं के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम से 50000 रूपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 19.03.2025 को 30000 रूपये व वक्त ट्रेप 20000 रूपये प्राप्त किये गये हैं। आरोपी श्री चोरूराम पुत्र श्री पुरखाराम, जाति कुम्हार, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव खारी चारणान, तहसील कोलायत, पुलिस थाना गजनेर, जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक (संविदाकर्मी), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खाजूवाला, जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत घटित होना पाया जाता है। प्रकरण में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला श्री बद्रीराम की भूमिका के संबंध में दौराने अनुसंधान स्पष्ट किया जावेगा। आरोपी चोरूराम कनिष्ठ सहायक (संविदाकर्मी), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खाजूवाला, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को प्रेषित है। (महेश श्रीमाली) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर..............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश श्रीमाली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री चोरूराम पुत्र श्री पुरखाराम, जाति कुम्हार, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव खारी चारणान, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, हाल कनिष्ठ सहायक(संविदाकर्मी) कायार्लय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला, जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 406 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 435-38 दिनांक 27-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन

न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।,4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SHARWAN KUMAR BISHNOI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/03/2025 21:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/04/1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)